राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 9374/2021

श्री पंकज वसीटा पुत्र श्री राकेश वसीटा, उम्र लगभग 29 वर्ष, जाति धोबी, निवासी मकान नंबर 101, जोगीवाड़ा, उदयपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से ।
2. निदेशक सह संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जी-3, राजमहल आवासीय क्षेत्र, सी स्कीम, सिविल लाइन फाटक के पास जयपुर-16 (राजस्थान)।
3. नगर निगम उदयपुर, आयुक्त, नगर निगम, टाउन हॉल रोड, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री विक्रम शर्मा, श्री झमक नागदा .
प्रतिवादी(गण) की ओर से	:	श्री अनुराग शुक्ला.

माननीय श्रीमान न्यायाधीश अरुण मोंगा

आदेश(मौखिक)

07/03/2025

1. सफाई कर्मचारी बनने का इच्छुक, याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादियों को सफाई कर्मचारी की शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (विकलांग) की आरक्षित श्रेणी के तहत विज्ञापन संख्या 1/2018 के अनुसार उसके समकक्षों को दिए गए सभी परिणामी लाभों सहित पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार

करने का आदेश देते हुए एक उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने की मांग करता है।

2. प्रासंगिक तथ्य पहले। 13.04.2018 को, प्रतिवादियों ने राजस्थान की 184 नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 1/2018 जारी किया। विज्ञापन के अनुसार, एक वर्ष का अनुभव रखने वाला राजस्थान का वास्तविक निवासी पात्र था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। राजस्थान नगर पालिका (सफाई कर्मचारी सेवा नियम, 2012) के अंतर्गत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाना था।

2.1. याचिकाकर्ता, पात्र होने के साथ-साथ उदयपुर का वास्तविक निवासी भी है, और उसने 90% श्रवण बाधित होने के कारण दिव्यांगजन (PwD) श्रेणी और अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था। दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, आधिकारिक चेकलिस्ट में उसका नाम गलती से केवल SC श्रेणी में दर्ज हो गया। परिणामस्वरूप, उसकी उम्मीदवारी पर केवल SC लॉटरी में विचार किया गया, जहाँ उसका चयन नहीं हुआ, जबकि दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए 35 पद आरक्षित थे और केवल 10 आवेदन प्राप्त हुए थे।

2.2. त्रुटि का पता चलने पर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसने गलती को स्वीकार किया और प्रतिवादी संख्या 2 को 27.08.2020 और 13.10.2020 को पत्र लिखकर उचित विचार का अनुरोध किया।

2.3. प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी संख्या 2 ने (i) क्या याचिकाकर्ता ने दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, (ii) इस त्रुटि के लिए कौन उत्तरदायी था, और (iii) उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की

गई, के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा। प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 23.11.2020 के अपने प्रत्युत्तर में पुष्टि की कि याचिकाकर्ता ने दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था, लेकिन सॉफ़्टवेयर त्रुटि के कारण उसका नाम गलत श्रेणी में आ गया। मामले की जाँच के लिए एक जाँच समिति गठित की गई।

2.4. बार-बार अनुरोध और आधिकारिक पत्राचार के बावजूद, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं की गई। प्रतिवादियों को 07.04.2021 को एक कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए यह याचिका प्रस्तुत है।

3. उत्तर में लिया गया स्पष्ट रुख, जो इसके अनुच्छेद 1 में निहित है, निम्नानुसार है:

> "रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या *1* की विषयवस्तु को जानकारी के अभाव में अस्वीकार किया जाता है, हालाँकि यह सच है कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति वर्ग में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन लॉटरी प्रणाली में उसका नाम अनुसूचित जाति वर्ग में चुना गया था, लेकिन लॉटरी में उसका नंबर नहीं चुना गया। यह भी उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण समिति द्वारा गलती से उसकी श्रेणी को विशेष रूप से सक्षम श्रेणी में सत्यापित नहीं किया गया था।"

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वन्द्वी पक्ष की दलीलें सुनी हैं तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

5. जवाब से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने शपथ पत्र पर स्वीकार किया है कि उनकी ओर से हुई गलती के कारण याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में विचार नहीं किया जा सका। इसके बजाय, उन्हें अनुसूचित जाति श्रेणी का उम्मीदवार माना गया और जब उक्त श्रेणी में लॉटरी निकाली गई, तो उनका नाम चयन सूची में नहीं आया।

6. ऐसा होने पर, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता के शारीरिक रूप से विकलांग माने जाने के दावे को स्वीकार क्यों न किया जाए, खासकर जब उसकी विकलांगता पर कोई विवाद न हो। इसके अलावा, विकलांगता अधिनियम, 1995 की धारा 32 और 33 के तहत विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

> ***"32.* ऐसे पदों की पहचान जो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं।-**
>
> उपयुक्त सरकारें -
>
> *(क)* प्रतिष्ठानों में ऐसे पदों की पहचान करना , जिन्हें दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया जा सकता है*;*
>
> *(ख)* तीन वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के अंतराल पर, चिन्हित पदों की सूची की समीक्षा करना तथा प्रौद्योगिकी में विकास को ध्यान में रखते हुए सूची को अद्यतन करना।
>
> ***33.*पदों का आरक्षण.-**
>
> प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए रिक्तियों का ऐसा प्रतिशत नियुक्त करेगी जो तीन प्रतिशत से कम न हो, जिसमें से एक प्रतिशत निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा-
>
> *i)* अंधापन या कम दृष्टि*;*
>
> *ii)* श्रवण बाधित*;*
>
> *iii)* गति विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात, प्रत्येक विकलांगता के लिए निर्धारित पदों पर*:*
>
> परन्तु समुचित सरकार, किसी विभाग या स्थापना में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी स्थापना को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।"

7. इस संबंध में, मेरा मानना है कि इस स्तर पर, सफाई कर्मचारियों के सम्पूर्ण ड्रॉ के संचालन के लिए कोई कठोर निर्देश पारित करने के बजाय, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और समता को संतुलित करने के लिए, याचिकाकर्ता का सफाई कर्मचारी के रूप

में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में कर्मचारी नियुक्ति का दावा स्वीकार किया जाना चाहिए।

8. तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र और कार्य प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज़ वास्तविक पाए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश की वेब-प्रति के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा।

9. कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसी तिथि, जिस तिथि से अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था, से "कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं" के सिद्धांत पर बिना किसी वित्तीय लाभ के वरिष्ठता और काल्पनिक लाभ प्रदान किए जाएंगे ।

10. अंत में, मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि याचिकाकर्ता ने लॉटरी में भाग नहीं लिया था, और इसलिए, यह अनुचित प्रतीत हो सकता है कि लॉटरी में भाग लिए बिना, उसे इस न्यायालय के परमादेश के आधार पर पद पर नियुक्त करने का लाभ दिया जा रहा है। मुकदमेबाजी की अनिश्चितताएँ ऐसी हैं कि कभी-कभी, इसका परिणाम उम्मीदवारों के पक्ष में आकस्मिक लाभ के रूप में होता है जैसा कि यहाँ हुआ है, साथ ही यह तथ्य भी है कि याचिकाकर्ता एक विकलांग व्यक्ति (90% श्रवण बाधित) होने के नाते मानवीय दृष्टिकोण का हकदार है जैसा कि उसके चिकित्सा प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। किसी भी स्थिति में, यह पता चलता है कि शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में आरक्षित पदों की संख्या शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों की वास्तविक संख्या से अधिक थी ।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

78-प्रेम/ जितेन्द्र

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां/नहीं।

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी